झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

—: अधिसूचना :—

राँची, दिनांक— 19/09/2025 ई०।

पत्र संख्या—05/वि0को0—05/24/2025—5953/गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं NCLI Monitoring Dashboard Entry Fields Portal में दिये गये कण्डिकावार बिन्दुओं में उल्लेखित नये प्रावधानों के आलोक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के निम्नांकित धाराओं से संबंधित कुल 24 (चौबीस) मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) English एवं हिन्दी भाषाओं में अधिसूचित किया जाता है :—

SL. No.	NCLI Table No. / S.No.	Section BNSS – 2023	Details of Provisions
1	A/4	37(B)	Designated police officer
2	A/5	48 (3)	Obligation of person making arrest to inform about arrest etc to relative of friend
3	A/6	64 (1)	Summons how served
4	A/8	173 (1) (ii)	Information in cognizable cases
5	A/9	174 (1)	Information as to non-cognizable cases and investigation of such cases.
6	A/10	176 (2)	Procedure for investigation
7	B/10	107	Attachment, forfeiture or restoration of property derived or obtained as a result of criminal activity.
8	B/7	94	Summons to produce document or other thing
9	B/18	175 (3)	Power of Magistrate to order investigation after considering application made under sub-section (4) of section 173
10	B/19	175 (4)	Protection available to Public Servant regarding complaints arising in course of the discharge of his official duties
11	B/20	179, 180, 181, 195	Examination of witnesses by Police
12	B/1	35	When Police may arrest without warrant
13	B/3	43 (3)	Arrest how made
14	B/12	172	Persons bound to conform to lawful direction of police
15	B/14	173 (3)	Preliminary enquiry
16	C/9	63	Form of Summons
17	B/15	173 (4)	Objective compliance with section 173 (4) regarding refusal on the part of an officer In charge to record an FIR
18	A/12	193(3)(i)	Report of Police Officers on cpmpletion of investigation
19	B/4	40,50, 173 (1), 173(3), 174, 176, 84,185,187,193,194,230	Various Timelines for Police Officers

P.T.O.

20	B/5	63-71	Objective Compliance with Summons related various provisions
21	B/6	84, 85, 86	Proclamation for person absconding arrest and attachment of property of proclaimed persons/offenders
22	B/13	173(1), 173(1)(ii)	Registration of FIRs including e-FIR and Zero FIR
23	B/16	174	Non-Cognizable Complaints and Fortnightly Report to the Magistrate
24	B/17	176(2)	Report on cognizable cases not investigated and fortnightly daily diary report to Magistrate

अनु0:– 24 (चौबीस) मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

lina
19.09.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:–05/वि0को0–05/24/2025–5953/रांची दिनांक– 19/09/2025 ई०।
प्रतिलिपि : गृह सचिव, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ प्रेषित।

lina
19.09.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:–05/वि0को0–05/20/2025–5953/रांची दिनांक– 19/09/2025 ई०।
प्रतिलिपि : महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/पुलिस महानिरीक्षक, (मानवाधिकार), झारखण्ड –सह– अध्यक्ष, Legal Committee को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0:–यथोक्त।

lina
19.09.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:–05/वि0को0–05/20/2025–5953/रांची दिनांक– 19/09/2025 ई०।
प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0:–यथोक्त।

lina
19.09.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:–05/वि0को0–05/20/2025–5953/रांची दिनांक– 19/03/2025 ई०।
प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, ई गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को राज्य के असाधारण गजट में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
अनु0:–यथोक्त।

lina
19.09.25

सरकार के संयुक्त सचिव

धारा–176(2) भा0ना0सु0स0– अनुसंधान नहीं किये गये संज्ञेय मामलों पर रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट को पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट पर मानक संचालन प्रक्रिया

1. यदि किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को, इतिला प्राप्त होने पर अन्यथा, यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 175 के अधीन सशक्त है, तो वह अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा, जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए, उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से किसी एक को भेजेगा जो ऐसी पंक्ति से निम्तर् पंक्ति का न होगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित विहित करेः–

बशर्ते कि

(क) जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इतिला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है और मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है, तो आवश्यक न होगा कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे :

(ख) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह मामले का अन्वेषण न करेगा ।

परंतु यह और कि बलात्संग के अपराध के संबंध में, पीड़ित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता–पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा और ऐसा कथन किसी श्रव्य–दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों, जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी है, के माध्यम से अभिलिखित किया जा सकेगा।

(2) उपधारा(1) के पहले परंतु के खंड (क) और (ख) में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपनी रिर्पोट में उसके द्वारा उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा और मजिस्ट्रेट को पाक्षिक दैनिक दैनिक डायरी रिपोर्ट भेजेगा, उक्त परंतु के खंड (ख) में वार्णित दशा में, अधिकारी, सूचना को, यदि कोई हो, ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, भी तत्काल अधिसूचित करेगा।

धारा–176(2) भा0ना0सु0स0 पर मानक संचालन प्रक्रिया

- **यह धारा भा0ना0सु0स0 की 176(1) के परन्तु खंड (क) एवं (ख) में वर्णित दशाओं में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी को स्पष्ट करता है।**

यह अनुभाग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 176(1) के खंड (a) और (b) में उल्लिखित मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।

(a) जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे अपराध की सूचना नाम सहित दी जाती है और मामला गंभीर प्रकृति का नहीं होता है, तो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को स्वयं मौके पर जाकर जांच करने या किसी अधीनस्थ अधिकारी को जांच के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

(b) यदि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि जांच या पूछताछ करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह मामले की जांच नहीं करेगा।

उपरोक्त दोनों उपखंडों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित नियम बनाए जाते हैं –

(i) जब पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सूचना प्राप्त होती है और शिकायत धारा 176 के खंड (a) के अंतर्गत आती है, तो...

(ii) ऐसे मामलों में जांच थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा स्वयं या उनके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की जाएगी। जांच पूर्ण होने के पश्चात, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 के अंतर्गत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(iii) ऐसे मामलों में जब धारा 176(1)(b) के अंतर्गत जांच से इनकार किया जाता है, तो पुलिस थाना प्रभारी उपयुक्त विधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद एफआईआर को अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट/संज्ञान लेने वाली अदालत को प्रेषित करेगा। एफआईआर प्रारूप के कॉलम 13 – "की गई कार्रवाई" में विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाएगा कि "उपरोक्त रिपोर्ट में उल्लिखित अपराधों की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया, जिसका केस नंबर है _____ और जांच से 'इनकार किया गया'। (एफआईआर के साथ एक अलग रिपोर्ट संलग्न की जा सकती है, जिसमें थाना प्रभारी द्वारा जांच से इनकार करने के कारणों का पर्याप्त आधार सहित उल्लेख किया गया हो)।

(iv) पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अनुसार उपयुक्त धाराओं में मामला दर्ज करने के पश्चात तथा धारा 176(1)(b) के तहत जांच से इनकार करने की स्थिति में, प्राथमिकी (FIR) की एक प्रति सूचक या शिकायतकर्ता को दी जाएगी और प्राथमिकी की प्रति के प्रतिफल (काउंटरफॉइल) पर उनसे प्राप्ति की पुष्टि प्राप्त की जाएगी या परिशिष्ट-अ के अनुसार एक सूचना (नोटिस) प्रदान की जाएगी।

(v) ऐसे मामलों में, जिनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176(1)(b) के तहत जांच से इनकार किया गया है, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी ऐसे मामलों की कोई अन्य रिपोर्ट, जिसमें धारा 193 के तहत अंतिम रिपोर्ट भी शामिल है, प्रेषित नहीं करेगा।

(vi) उपधारा (1) के पहले प्रावधान के खंड (a) और (b) में उल्लिखित प्रत्येक मामले में, पुलिस थाना प्रभारी अपनी रिपोर्ट में इस उपधारा की आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से पालन न करने का कारण उल्लेखित करेगा और प्रतिदिन की डायरी रिपोर्ट को प्रत्येक पंद्रह दिन में परिशिष्ट-'A' के अनुसार मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा।

परिशिष्ट "क"

पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट

(धारा 176(2), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

क्र0 सं0	सूचना देने वाले का नाम व तिथि	की गई कार्रवाई का विवरण					प्रविष्टि करने वाले अधिकारी का नाम	न्यायालय की टिप्पणी/आदेश
		प्राथमिकी संख्या	तिथि	कानून की धारा	स्थल पर न जाने का कारण	जांच से इनकार करने का कारण एवं समर्थन में आधार		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोटः यह मानक संचालन प्रक्रिया (**SOP**) नए आपराधिक कानूनो के लागू होने के बाद फील्ड इकाइयों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधन के अधीन है।

SOP on Section 176 (2) BNSS- Report on cognizable cases not investigated and fortnightly daily diary report to Magistrate.

Sec-176- (1) If, from information received or otherwise, an officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under section 175 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to a Magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report and shall proceed in person, or shall depute one of his subordinate officers not being below such rank as the State Government may, by general or special order, prescribe in this behalf, to proceed, to the spot, to investigate the facts and circumstances of the case, and, if necessary, to take measures for the discovery and arrest of the offender:

Provided that— (a) when information as to the commission of any such offence is given against any person by name and the case is not of a serious nature, the officer in charge of a police station need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot;

(b) if it appears to the officer in charge of a police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case: Provided further that in relation to an offence of rape, the recording of statement of the victim shall be conducted at the residence of the victim or in the place of her choice and as far as practicable by a woman police officer in the presence of her parents or guardian or near relatives or social worker of the locality and such statement may also be recorded through any audio-video electronic means including mobile phone.

(2) In each of the cases mentioned in clauses (a) and (b) of the first proviso to sub-section (1), the officer in charge of the police station shall state in his report the reasons for not fully complying with the requirements of that sub-section by him, and, forward the daily diary report fortnightly to the Magistrate and in the case mentioned inclause (b) of the said proviso, the officer shall also forthwith notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government .

Standard Operating Procedure on Section-176(2) BNSS

- This section clarifies the procedure to be followed in the cases mentioned in clauses (a) and (b) of section 176(1) of BNSS.
  (a) When information as to the commission of any such offence is given against any person by name and the case is not of a serious nature, the Officer-in-charge of a Police Station need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot.

b) If it appears to the Officer-in-charge of a Police Station that there is no sufficient ground for enquiring on an investigation, he shall not investigate the case:

Considering the above two clauses, following Rules are hereby made,-

(i) In case when information is received by the Officer in-charge of Police Station and the complaint is falling under Clause (a) of section 176 (...
(ii) In such cases, the investigation is to be taken up continued by the Officer in-charge of Police Station himself or by any officer subordinate to him. Then Officer in-charge of Police Station shall submit a report under section 193 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita after completion of such investigation.

(iii) In cases when an investigation is refused under section 176(1)(b), the Officer incharge of Police Station after registration of FIR under appropriate sections of law shall transmit the FIR to the jurisdictional Magistrate/ Cognizance Taking Court specifically indicating in the FIR format under Col. 13- ACTION TAKEN" that "the above report reveals commission of offences u/s was registered vide Case Number and investigation 'REFUSED'. (A separate report may be attached along with the FIR mentioning the reason for refusing investigation by the Officer in-charge of Police Station with sufficient reasoning).

(iv) The Officer in-charge of Police Station after registering a case as per section 173 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita under appropriate sections of the law and refusing the investigation under section 176 (1)(b) shall give a copy of the FIR to the informant or the complainant and obtain an acknowledgement in the counterfoil copy of the FIR or serve a notice as per Annexure-A.
(v) In cases when the investigation is refused under section 176 (1)(b) of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, the Officer in-charge of Police Station will not send any further report of such cases including the final report under section 193 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita.
(vi) In each of the cases mentioned in clause (a) and (b) of the first proviso to sub section (1), the Officer in-charge of Police Station shall mention in his report the reason for not fully complying with the requirements of that sub-section and shall forward the daily diary report fortnightly to the Magistrate as per the Annexure-A.

Annexure-A

Fortnightly Daily Diary Report

(Sec. 176 (2) Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita)

Sl. no.	Name of the informant with date	Details of Action Taken					Name of the officer making the entry	Court's remarks/order
		FIR No.	Date	Sec. of law	Reasons for not visiting spot during spot visit	Reason for refusing investigation and ground in support of refusal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

"Note: This standard operating procedure (SOP) is subject to revision based on the feedback received from field units after the implementation of the new interim documents."